eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24197305

विकसित भारत@2047 के लिए अनिवार्य: लैंगिक समानता

डॉ. बॉबी यादव[1] & डॉ. निशा यादव[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) कु. मायावती राजकीय बालिका (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल) कु. मायावती राजकीय बालिका, (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

Received: 21 July 2026 Accepted & Reviewed: 25 October 2026, Published: 31 October 2026

Abstract

भारत ने अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। यह शोध आलेख इस केंद्रीय प्रश्न की पड़ताल करता है कि क्या देश की आधी आबादी को समान अवसर, अधिकार, संसाधन और सम्मान दिए बिना यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों, सामाजिक सुधार आंदोलनों के ऐतिहासिक क्रम, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) तथा समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 जैसे द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह आलेख दर्शाता है कि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अवैतनिक देखभाल कार्य के असमान बोझ और महिला सुरक्षा के मोर्चों पर गहरी खाइयाँ अब भी विद्यमान हैं। आलेख का निष्कर्ष है कि लैंगिक समानता विकसित भारत की राह में कोई 'अतिरिक्त कल्याणकारी उपलब्धि' नहीं, बल्कि उसकी अनिवार्य पूर्व-शर्त है, और इसके लिए कानून, नीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सोच, चारों स्तरों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

कुंजी शब्द: विकसित भारत@2047, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला श्रमबल भागीदारी, समावेशी विकास, संवैधानिक प्रावधान

Introduction

15 अगस्त 2047 को भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा। 'अमृत काल' की संकल्पना के अंतर्गत देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस शताब्दी वर्ष तक भारत एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। 'विकसित भारत@2047' केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है; यह एक सभ्यतागत आकांक्षा है, जिसमें ऊँची प्रति व्यक्ति आय, सुदृढ़ अवसंरचना, तकनीकी नेतृत्व और गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ-साथ न्याय, समता और गरिमा के मूल्यों की प्रतिष्ठा भी सम्मिलित है। जब हम किसी राष्ट्र को 'विकसित' कहते हैं तो उसके सकल घरेलू उत्पाद के आकार से अधिक महत्त्वपूर्ण यह प्रश्न होता है कि उस विकास का लाभ किसे, कितना और किन शर्तों पर मिल रहा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 48.5 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) में पहली बार प्रति हजार पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का कुल लिंगानुपात दर्ज हुआ। अर्थात् संख्या की दृष्टि से महिलाएँ आधा देश हैं, किंतु आर्थिक उत्पादन, राजनीतिक निर्णयों, संपत्ति के स्वामित्व और सार्वजनिक जीवन में उनकी उपस्थिति उनके अनुपात से बहुत कम है। यह अंतर किसी भी महत्त्वाकांक्षी विकास-यात्रा के लिए एक संरचनात्मक अवरोध है। इस आलेख की केंद्रीय स्थापना यह है कि विकसित भारत@2047 का स्वप्न लैंगिक समानता के बिना अधूरा ही नहीं, अप्राप्य भी है। यह समानता न तो केवल कानूनी प्रावधानों से आएगी, न केवल योजनाओं से; इसके लिए अर्थव्यवस्था की संरचना, परिवार के भीतर श्रम-विभाजन, कार्यस्थल की संस्कृति, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक मानसिकता, सभी में एक साथ परिवर्तन अपेक्षित है।

लैंगिक समानता की अवधारणा - लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं कि स्त्री और पुरुष हर दृष्टि से एक-जैसे हो जाएँ, बल्कि यह कि उनके अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर उनके लिंग से निर्धारित न हों। इसके चार आयाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: पहला, अवसर की समानता, अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक समान पहुँच; दूसरा, संसाधनों पर नियंत्रण, जिसमें भूमि, संपत्ति, ऋण और डिजिटल साधन शामिल हैं; तीसरा, निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी, चाहे वह परिवार हो, पंचायत हो या संसद; और चौथा, हिंसा-मुक्त जीवन तथा गरिमा का अधिकार। नीति-विमर्श में 'समानता' (equality) और 'समता' या 'साम्य' (equity) का भेद भी महत्त्वपूर्ण है। औपचारिक समानता सबके लिए एक-जैसे नियम बनाती है, जबकि वास्तविक समानता यह स्वीकार करती है कि ऐतिहासिक वंचना

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24197305

झेलने वाले समूहों को बराबरी पर लाने के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) इसी दृष्टि का प्रतिफल है।

क्षमता उपागम और महिला एजेंसी - नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी कृति 'डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम' में विकास को लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आज सबसे महत्त्वपूर्ण बात महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी तथा नेतृत्व की समुचित स्वीकृति है। सेन ने 1990 में 'लापता महिलाओं' (missing women) की जिस अवधारणा को सामने रखा था, वह भारत जैसे समाज के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ पुत्र-वरीयता के कारण जन्म से पूर्व और जन्म के बाद की उपेक्षा ने करोड़ों बालिकाओं के जीवन को प्रभावित किया है। सेन का तर्क है कि जब महिलाएँ शिक्षित होती हैं, आय अर्जित करती हैं और घरेलू निर्णयों में हिस्सेदारी पाती हैं, तब शिशु मृत्यु दर घटती है, प्रजनन दर संतुलित होती है और पूरे परिवार का कल्याण बढ़ता है।

वैश्विक प्रतिबद्धताएँ - भारत ने 1993 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय (CEDAW) की पुष्टि की। 1995 का बीजिंग घोषणा-पत्र तथा संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना) भी भारत की नीतिगत दिशा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार लैंगिक समानता भारत के लिए केवल घरेलू नीति का विषय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत: अधिकारों का विस्तार - स्वतंत्रता के साथ भारत ने महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। यह उपलब्धि कई पश्चिमी लोकतंत्रों की तुलना में बहुत पहले प्राप्त हुई। 1950 के दशक में हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम (1956) तथा हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम (1956) के रूप में हिंदू कोड बिल के प्रावधान पारित हुए। डॉ. आंबेडकर इन सुधारों को एक समग्र संहिता के रूप में लाना चाहते थे और इसी विषय पर मतभेद के कारण उन्होंने 1951 में विधि मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था।

1974 में 'समानता की ओर' (Towards Equality) शीर्षक से महिलाओं की स्थिति पर समिति का प्रतिवेदन आया, जिसने भारत में महिला-विमर्श को नीतिगत आधार दिया। 1992-93 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किए। 1997 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश दिए, जो आगे चलकर 2013 के कानून का आधार बने। 2001 की राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति और 2012 के निर्भया प्रकरण के बाद हुए आपराधिक कानून सुधारों ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया।

यह ऐतिहासिक क्रम दर्शाता है कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का विस्तार किसी एक झटके में नहीं, बल्कि सुधारकों, आंदोलनों, न्यायपालिका और विधायिका के सम्मिलित प्रयास से हुआ है। यही परंपरा आज के दौर में भी मार्गदर्शक हो सकती है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023- सितंबर 2023 में संसद ने संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, अर्थात् 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया। इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। तीन दशकों से अधिक समय से लंबित इस विधेयक का पारित होना राजनीतिक इच्छाशक्ति का महत्त्वपूर्ण क्षण था। तथापि इसके क्रियान्वयन को आगामी जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है, इसलिए यह देखना शेष है कि यह आरक्षण वास्तविक धरातल पर कब और किस रूप में प्रभावी होता है। विकसित भारत@2047 की समय-सीमा को देखते हुए यह अत्यावश्यक है कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।

वर्तमान स्थिति: आँकड़ों के आईने में

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025

विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा, जबकि 2024 में उसका स्थान 129वाँ था। रिपोर्ट के अनुसार भारत का समग्र समानता-अंक 64.4 प्रतिशत है (कुछ प्रकाशनों में यह 64.1 प्रतिशत उल्लिखित है), जो 2024 की तुलना में 0.3 अंक का सुधार है; रैंकिंग में गिरावट का कारण अन्य देशों का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन बताया गया है। वैश्विक औसत 68.8 प्रतिशत है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश 24वें स्थान पर सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि भूटान (119), नेपाल (125) और श्रीलंका (130) भी भारत से ऊपर हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24197305

उप-सूचकांकों की तस्वीर मिश्रित है। शैक्षिक उपलब्धि में भारत का अंक 97.1 प्रतिशत है, यानी इस मोर्चे पर लगभग समानता है। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर में अंक 0.9 प्रतिशत-अंक बढ़कर 40.7 प्रतिशत हुआ, पर इस श्रेणी में भारत 144वें स्थान पर है, जो विश्व के सबसे निचले देशों में गिना जाता है। अनुमानित अर्जित आय में समानता 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 29.9 प्रतिशत हुई, अर्थात् महिलाएँ औसतन पुरुषों की आय का लगभग तीसरा हिस्सा ही अर्जित कर रही हैं। राजनीतिक सशक्तीकरण में संसद में महिला प्रतिनिधित्व 14.7 से घटकर 13.8 प्रतिशत और मंत्री-पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5 से घटकर 5.6 प्रतिशत रही। यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा में मिली सफलता अभी आर्थिक और राजनीतिक अवसरों में रूपांतरित नहीं हो पाई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य: प्रगति और शेष चुनौतियाँ- शिक्षा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि वास्तव में उल्लेखनीय है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात अब पुरुषों के बराबर या उससे कुछ अधिक है, और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित (STEM) के स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं की हिस्सेदारी लगभग 43 प्रतिशत के आसपास है। किंतु शोध एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का अनुपात इससे बहुत कम, लगभग पाँचवें हिस्से से भी नीचे, बताया जाता है। यानी 'पाइपलाइन' तो भरी है, पर उसके अंत में महिलाओं के लिए अवसर संकरे हो जाते हैं। NFHS-5 के अनुसार 15-49 वर्ष की केवल लगभग 41 प्रतिशत महिलाओं ने दस या अधिक वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी की है, जो ग्रामीण और वंचित वर्गों में असमानता का संकेत देता है।

श्रम बाज़ार में भागीदारी- यह वह क्षेत्र है जहाँ भारत की तस्वीर सर्वाधिक विरोधाभासी है। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर सामान्य स्थिति के आधार पर 40.0 प्रतिशत रही, जबकि पुरुषों में यह 79.1 प्रतिशत है। 2019-20 में महिलाओं की यह दर लगभग 30 प्रतिशत थी, अर्थात् पिछले कुछ वर्षों में स्पष्ट वृद्धि हुई है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की भूमिका प्रमुख है। अनुमान है कि 2025 में लगभग 61.6 करोड़ व्यक्ति नियोजित थे, जिनमें करीब 41.6 करोड़ पुरुष और 20.0 करोड़ महिलाएँ थीं। यह वृद्धि उत्साहवर्धक है, किंतु विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर भी है कि अनेक महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक कार्य या कम आय वाले स्व-रोजगार में लगी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में भागीदारी की गति अपेक्षाकृत धीमी है।

इसका मूल कारण घरेलू और देखभाल कार्य का असमान बँटवारा है। समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 के अनुसार महिलाएँ प्रतिदिन औसतन लगभग 299 मिनट अवैतनिक घरेलू सेवाओं में लगाती हैं, जबकि पुरुष लगभग 97 मिनट। श्रमबल से बाहर रहने वाली महिलाओं में बड़ी संख्या ने मुख्य कारण के रूप में बच्चों की देखभाल, घरेलू दायित्व या गृहकार्य बताया है। जब तक यह बोझ परिवार और समाज में साझा नहीं होगा, तब तक रोजगार के अवसर बढ़ने पर भी महिलाएँ उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाएँगी।

विकास की गणना में आधी आबादी- विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार उच्च-आय वाले देश की श्रेणी में पहुँचने के लिए प्रति व्यक्ति आय की सीमा लगभग 14,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। भारत को इस सीमा तक पहुँचने के लिए लगभग दो दशकों तक लगातार उच्च विकास दर बनाए रखनी होगी। यह तभी संभव है जब देश अपनी संपूर्ण श्रम-शक्ति और उद्यमिता का उपयोग करे। जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधि सीमित है; आने वाले दो दशकों में कार्यशील आयु वर्ग की आबादी का अनुपात अपने शिखर के बाद घटने लगेगा। यदि इस अवधि में आधी आबादी की क्षमता का आंशिक उपयोग ही हुआ, तो यह ऐतिहासिक अवसर आधा ही सार्थक होगा।

अंतरराष्ट्रीय अध्ययन इस तर्क को पुष्ट करते हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2015 की रिपोर्ट 'द पावर ऑफ पैरिटी' का आकलन था कि भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को पुरुषों के निकट लाने से 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 770 अरब डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि संभव है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तत्कालीन प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्ड ने 2018 में कहा था कि यदि भारत में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो सकल घरेलू उत्पाद लगभग 27 प्रतिशत अधिक हो सकता है। इन आकलनों की अपनी मान्यताएँ और सीमाएँ हैं, किंतु सभी का निष्कर्ष एक ही दिशा में है: लैंगिक अंतराल पाटना अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े अप्रयुक्त अवसरों में से एक है।

उद्यमिता और स्वयं सहायता समूह- भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएँ लगभग 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। केरल का 'कुदुम्बश्री' (1998) और बिहार का 'जीविका' इन मॉडलों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 'लखपति दीदी' अभियान का लक्ष्य तीन करोड़ महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक की स्थायी आय तक पहुँचाना है, और 'ड्रोन दीदी' पहल के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि में ड्रोन तकनीक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24197305

से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग दो-तिहाई महिलाएँ हैं। इला भट्ट द्वारा स्थापित 'सेवा' (1972) जैसे संगठनों ने दशकों पहले यह प्रदर्शित कर दिया था कि अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाएँ संगठित होकर आर्थिक शक्ति बन सकती हैं।

केंद्र सरकार की योजनाएँ- पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तीकरण को विकास-नीति के केंद्र में रखने का प्रयास किया है। 2015 में हरियाणा के पानीपत से आरंभ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का उद्देश्य गिरते बाल लिंगानुपात को थामना और बालिका-शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 'सुकन्या समृद्धि योजना' ने बेटियों के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहन दिया। 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (2016) ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रसोई को धुएँ से राहत दी और महिलाओं के समय तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ को कम किया। 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के कारण बड़ी संख्या में महिलाएँ पहली बार औपचारिक बैंकिंग से जुड़ीं; NFHS-5 के अनुसार 15-49 वर्ष की लगभग 79 प्रतिशत महिलाओं के पास ऐसा बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण हेतु नकद सहायता देती है। 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता केंद्र, महिला हेल्पलाइन और सखी निवास जैसी सुविधाएँ विकसित की गई हैं। बजट में 'जेंडर बजट विवरण' के माध्यम से महिलाओं से संबंधित व्यय को अलग से दर्शाने की परंपरा है, जिसका आकार हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

राज्यों के उल्लेखनीय प्रयोग- राज्यों ने कई नवाचार किए हैं, जो राष्ट्रीय नीति के लिए प्रेरणा बने। बिहार ने 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बनकर इतिहास रचा, और उसी वर्ष आरंभ 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' ने माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं के नामांकन को प्रोत्साहित किया। केरल की 'कुदुम्बश्री' ने गरीबी-उन्मूलन को महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व से जोड़ा। तमिलनाडु ने विद्यालयों में पोषण-कार्यक्रम और महिलाओं के लिए बस-यात्रा जैसी पहलों के माध्यम से गतिशीलता और उपस्थिति को बढ़ाया।

उत्तर प्रदेश में 'मिशन शक्ति' (2020) के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए बहु-स्तरीय अभियान चलाया गया, जिसमें थानों में महिला सहायता डेस्क की व्यवस्था भी शामिल है। 'कन्या सुमंगला योजना' (2019) के माध्यम से बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक चरणबद्ध आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 'बैंक सखी' (बी.सी. सखी) के रूप में हजारों ग्रामीण महिलाएँ बैंकिंग सेवाओं की वाहक बनी हैं। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की सफलता या विफलता राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए निर्णायक होने के कारण यहाँ के अनुभव विशेष ध्यान की माँग करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ- सबसे गहरी बाधा कानून की कमी नहीं, बल्कि सोच की जड़ता है। पुत्र को वंश का वाहक और पुत्री को 'पराया धन' मानने की मानसिकता, दहेज की परंपरा, 'इज्जत' के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता पर नियंत्रण और घर के निर्णयों में उनकी सीमित भूमिका ऐसे कारक हैं, जो कानूनी प्रावधानों के प्रभाव को कुंद कर देते हैं। बेटियों को संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त होने के बावजूद व्यवहार में उनके दावे को छोड़ देने का सामाजिक दबाव आज भी देखा जाता है। कृषि गणना के आँकड़ों के अनुसार देश में परिचालन-भूमि जोतों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत है, जबकि कृषि-श्रम में उनकी भूमिका कहीं अधिक है। भारत की अधिकांश कामकाजी महिलाएँ कृषि, घरेलू सेवा, निर्माण और छोटे व्यापार जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं, जहाँ न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ और कार्यस्थल सुरक्षा की गारंटी कमजोर है। विश्व आर्थिक मंच के आकलन में आय-समानता का मात्र लगभग 30 प्रतिशत होना इसी संरचना का परिणाम है। औपचारिक क्षेत्र में भी वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की कमी, मातृत्व के कारण करियर में व्यवधान और पदोन्नति में अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। प्रौद्योगिकी आधारित विकास के युग में डिजिटल समावेशन निर्णायक है। NFHS-5 के अनुसार 15-49 वर्ष की केवल लगभग 54 प्रतिशत महिलाओं के पास ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। इंटरनेट-उपयोग में यह अंतर और भी गहरा है। यदि डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े अवसरों तक महिलाओं की पहुँच सीमित रही, तो नई अर्थव्यवस्था पुराने असंतुलनों को और बढ़ा सकती है।

विकसित भारत@2047 के लिए मार्गचित्र- प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के चार प्रमुख आधार-स्तंभों के रूप में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को रेखांकित किया है। यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब नारी-शक्ति को केवल प्रतीक नहीं, बल्कि नीति, बजट और संस्थागत ढाँचे का केंद्र बनाया जाए। नीचे प्रस्तुत मार्गचित्र लेखक के विश्लेषण पर आधारित सुझावात्मक रूपरेखा है; इसमें दिए गए लक्ष्य सांकेतिक हैं और नीति-निर्माताओं के विचार हेतु प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी और समतामूलक शिक्षा पर बल दिया है। अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा पूर्ण कर चुकी युवतियाँ श्रम-बाज़ार में प्रवेश कर सकें और उसमें टिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24197305

सकें। इसके लिए उद्योगों के साथ सहभागिता, छात्रावास व सुरक्षित आवागमन की सुविधाएँ, और गाँवों के निकट रोजगार-अवसर आवश्यक हैं। स्कूली और विश्वविद्यालयी स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम का नियमित भाग बनाना भी उतना ही आवश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थानों को, जिनमें हिंदी माध्यम के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विशेष महत्त्व रखते हैं, महिला शोधार्थियों और शिक्षिकाओं के लिए अनुकूल कार्य-वातावरण बनाना होगा, ताकि शैक्षणिक नेतृत्व में उनकी उपस्थिति बढ़े। श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, ई-श्रम पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार तभी महिलाओं के लिए अर्थपूर्ण होंगे जब घरेलू कामगारों, गृह-आधारित श्रमिकों और कृषि-श्रमिकों को इनके दायरे में वास्तविक रूप से लाया जाए। स्वयं सहायता समूहों को केवल सूक्ष्म ऋण तक सीमित न रखकर मूल्य-शृंखला, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण और निर्यात से जोड़ना होगा। महिला किसानों की पहचान, उन्हें भूमि अधिकार, कृषि ऋण और प्रौद्योगिकी तक पहुँच देना खाद्य-सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अनिवार्य है।

लैंगिक समानता को 'महिलाओं का मुद्दा' मानना ही सबसे बड़ी भूल है। यह पूरे समाज के हित का प्रश्न है। जब पुरुष घरेलू कार्य और बच्चों की देखभाल में बराबर साझेदारी निभाते हैं, तब महिलाओं के लिए अवसर बढ़ते हैं और परिवार की आय, बच्चों का स्वास्थ्य और घर का सामंजस्य भी बेहतर होता है। पितृत्व अवकाश, साझा पालन-पोषण और घरेलू श्रम में समान भागीदारी को सामाजिक रूप से सम्मानित मूल्य बनाना होगा। इस दिशा में परिवार, विद्यालय, धार्मिक-सामाजिक संस्थाएँ और जनसंचार माध्यम, सबकी भूमिका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और हरित अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्र 2047 तक रोजगार का स्वरूप बदल देंगे। यदि महिलाओं को इन क्षेत्रों के कौशल से प्रारंभ से ही जोड़ा गया, तो वे इस परिवर्तन की अग्रणी भागीदार बन सकती हैं; अन्यथा स्वचालन से पारंपरिक रूप से महिला-प्रधान कार्यों के कमजोर पड़ने का जोखिम भी है। इसलिए डिजिटल साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप-पारिस्थितिकी में महिला-केंद्रित निवेश को प्राथमिकता देनी होगी।

निष्कर्ष- इस अध्ययन से तीन मुख्य निष्कर्ष उभरते हैं। पहला, भारत ने कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय प्रगति की है। संविधान से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक की यात्रा, और विशाखा से लेकर बबीता पुनिया तक के निर्णय यह दर्शाते हैं कि समानता की संस्थागत नींव मजबूत है। महिलाओं की श्रमबल भागीदारी में हाल की वृद्धि भी आशा जगाती है। दूसरा, इस प्रगति और वास्तविक समानता के बीच अब भी बड़ा अंतर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 131वाँ स्थान, आर्थिक भागीदारी में 144वाँ स्थान, संसद में लगभग 13.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व, अवैतनिक कार्य का असमान बोझ और हिंसा के आँकड़े बताते हैं कि अवसरों की समानता अभी परिणामों की समानता में नहीं बदल सकी है। तीसरा, यह अंतर केवल नैतिक या सामाजिक चिंता का विषय नहीं, बल्कि विकास की गति का प्रश्न है। जिस देश को अगले दो दशकों में उच्च-आय वर्ग में पहुँचना है, वह अपनी आधी आबादी की क्षमता को अनुपयोगी नहीं छोड़ सकता।

अतः 'विकसित भारत@2047' का अर्थ केवल ऊँची इमारतें, तेज़ रेलगाड़ियाँ या बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हो सकता। उसकी असली कसौटी यह होगी कि गाँव की बालिका बिना भय विद्यालय जा सके, युवती अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार चुन सके, माँ को सुरक्षित मातृत्व और सम्मानजनक कार्य-परिवेश मिले, और वृद्धा को गरिमा के साथ जीवन-संध्या। यह तभी संभव होगा जब कानून, अर्थनीति, राजनीति और समाज एक साथ अपनी भूमिका निभाएँ और जब पुरुष तथा स्त्री दोनों इसे साझा लक्ष्य के रूप में स्वीकार करें।

"जब तक स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं होता, तब तक संसार के कल्याण की कोई संभावना नहीं; पक्षी का केवल एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।" (स्वामी विवेकानंद, 1894 के एक पत्र से, हिंदी भावानुवाद)

विवेकानंद की यह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि भारत को 2047 में विकास के आकाश में ऊँची उड़ान भरनी है, तो उसे अपने दोनों पंखों को समान शक्ति देनी होगी। लैंगिक समानता इसीलिए विकसित भारत की 'वैकल्पिक सुविधा' नहीं, बल्कि उसकी अनिवार्य शर्त है।

संदर्भ सूची

1. World Economic Forum (2025). Global Gender Gap Report 2025. Geneva: WEF.

2. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI). आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS): वार्षिक रिपोर्ट 2025 तथा त्रैमासिक/मासिक बुलेटिन। नई दिल्ली।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24197305

3. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21: भारत रिपोर्ट।

4. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2020). Time Use in India – 2019।

5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2023). Crime in India 2022। गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संबंधी दिशानिर्देश तथा जेंडर बजट विवरण (केंद्रीय बजट दस्तावेज)।

7. McKinsey Global Institute (2015). The Power of Parity: Advancing Women's Equality in India।

8. Sen, Amartya (1999). Development as Freedom. Oxford University Press; Sen, Amartya (1990). 'More than 100 Million Women Are Missing', The New York Revie